

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1142/2015

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 1142/2015

संस्थापित दिनांक 07/12/2015

फाईलिंग नम्बर-230303017012015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-  
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. दशरथ सिंह पुत्र हाकिम सिंह गुर्जर उम्र-27  
साल व्यवसाय खेती निवासी वार्ड क02 गोहद  
जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्त

---

(अपराध अंतर्गत धारा-294,451,327,427 एवं 506 भाग-2 भा0द0स0)  
(राज्य द्वारा एडीपीओ-श्री प्रवीण सिकरवार ।)  
(आरोपी द्वारा अधिवक्ता-श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव ।)

---

::- नि र्ण य -::

(आज दिनांक 17/01/2017 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 16/09/15 को दिन के लगभग डेढ बजे गोलम्बर तिराहा के पास गोहद मे फरियादी देवदत्त शर्मा उर्फ भूरे की दुकान पर सार्वजनिक स्थल पर फरियादी देवदत्त शर्मा को माँ बहन की अश्लील गालियाँ देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी देवदत्त शर्मा को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने, उसी समय फरियादी देवदत्त शर्मा की दुकान में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित करने तथा फरियादी देवदत्त शर्मा से सम्पत्ति उददापित करने के प्रयोजन से उसकी मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने एवं उसी समय फरियादी देवदत्त शर्मा को सदोष हानि कारित करने के आशय से उसकी टी.बी. तोडकर उसे चार हजार रुपये का नुकसान कारित कर रिष्टी कारित करने हेतु भादस की धारा 294,506 भाग-2,451,327 एवं 427 के अंतर्गत आरोप हैं।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी देवदत्त शर्मा गोलम्बर तिराहे पर इलेक्ट्रीकल की दुकान करता है। दिनांक 15/09/15 को साहूकार गुर्जर का छोटा भाई आरोपी पटेल

उसकी दुकान पर बैलेंस कराने आया था तो उसने मना कर दिया था। घटना दिनांक 16/09/15 को दिन के डेढ बजे फरियादी देवदत्त अपनी दुकान पर बैठा था उसी समय साहूकार गुर्जर का छोटा भाई आरोपी पटेल एक अन्य अज्ञात लडके के साथ आया था और उससे कहा था कि उसका बैलेंस डाल दो उसने बैलेंस डालने से मना कर दिया था तो दोनों लोग उसे माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देते हुये दुकान के अंदर घुस आये थे एवं हाथ घूसों से उसकी मारपीट करने लगे थे पटेल ने अपना हाथ में कड़ा पहना था पटेल ने उसके मुँह में घूसा मारा था जिससे उसके दो दांत हिलने लगे थे दोनों लोग दुकान का सामान उठाकर फेकने लगे थे तथा टी0बी की तोड़फोड़ कर दी थी। शोरगुल की आवाज सुनकर मौके पर देवेन्द्र शर्मा एवं राजीव शर्मा आ गये थे दोनों ने लात से उसकी मारपीट की थी आरोपीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद में की गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अप0क0306/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गयाथा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गयाथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. द0प्र0स0की धारा313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया हैकि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 16/09/15 को दिन के लगभग डेढ बजे गोलम्बर तिराहा के पास गोहद में फरियादी देवदत्त शर्मा उर्फ भूरे की दुकान पर सार्वजनिक स्थल पर फरियादी देवदत्त शर्मा को माँ बहन की अश्लील गालियाँ देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?

2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी देवदत्त शर्मा को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

3. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी देवदत्त शर्मा उर्फ भूरे की दुकान में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?

4. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी देवदत्त शर्मा को सदोष हानि कारित करने के आशय से उसकी टी.बी. तोड़कर उसे चार हजार रुपये का नुकसान कारित कर रिष्टी कारित की?

5. क्या घटना दिनांक को फरियादी देवदत्त शर्मा उर्फ भूरे के शरीर पर उपहतियों थी? यदि हाँ तो उनकी प्रकृति?

6. क्या उक्त उपहतियों फरियादी देवदत्त शर्मा को आरोपी और केवल आरोपी द्वारा सम्पत्ति उददापित करने के प्रयोजन से स्वेच्छया कारित की गई?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01, राजू शर्मा आ0सा02, जितेन्द्र शर्मा आ0सा03, डॉ0यशवंत सिंह आ0ससा04, डॉ0आलोक शर्मा

आ0सा05, देवेन्द्र शर्मा आ0सा06 एवं उपनिरीक्षक एन0एल0शाक्य आ0सा07 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 4-5 माह पहले दिन के 9-10 बजे की है दशरथ उसकी दुकान पर मोबाईल में उधार बैलेंस कराने आया था तो उसने उधार बैलेंस डालने से मना कर दिया था इसी बात पर आरोपी उसे मों बहन की गालियाँ देने लगा था। शेष साक्षीगण द्वारा उक्त बिन्दु पर कोई कथन नहीं किया गया है।

8. इस प्रकार फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01 ने अपने कथन में आरोपी द्वारा उसे मों बहन की गालियाँ दिया जाना बताया है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपी द्वारा वास्तव में कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किये गये थे जिन्हें सुनकर उसे क्षोभ कारित हुआ था। फरियादी देवदत्त आ0सा01 ने अपने कथन में आरोपी द्वारा मों बहन की गालियाँ दिया जाना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि आरोपी द्वारा दी गई गालियों को सुनकर उसे क्षोभ कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भा0द0स0 की धारा 294 के संगठकपूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी को भा0द0स0 की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

09. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी ने उसे जान से खत्म करने की धमकी दी थी। शेष साक्षीगण द्वारा उक्त बिन्दु पर कोई कथन नहीं किया गया है।

10. इस प्रकार फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01 ने अपने कथन में आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि भा0दं0सं0 की धारा 506 भाग-2 को प्रमाणित होने के लिये यह आवश्यक है कि आरोपी द्वारा दी गई धमकी वास्तविक हो एवं उसे सुनकर फरियादी को भय अथवा अभित्रास कारित हुआ हो मात्र क्षणिक आवेश में दी गई तुच्छ धमकियों से भा0दं0स0 की धारा 506 भाग-2 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01 ने आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि आरोपी द्वारा दी गई धमकी को सुनकर उसे भया अथवा अभित्रास कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भा0दं0स0 की धारा 506 भाग-2 के संगठकपूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी को भा0दं0स0 की धारा 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 5

11. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में डॉ0आलोक शर्मा आ0सा05 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 16/09/15 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में पुलिस थाना गोहद के आरक्षक अरविन्द्र द्वारा लाये जाने पर आहत देवदत्त का चिकित्सकीय परीक्षण

किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने आरोपी के शरीर पर चार चोटें पाई थी जिनमें से चोट क्र01 उपर की ओर दायी तरफ दांत के नीचे के भाग से खून बह रहा था एवं दांत हिल रहा था चोट क्र02 उपर के होठ में नीलगू निशान, चोट क्र03 नीचे के होठ में नीलगू निशान एवं चोट क्र04 बायें पैर में नीलगू निशान स्थित था। उसके मतानुसार उक्त चोटें सख्त एवं बौथरी वस्तु से आना संभावित थी जो उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व 06 घंटे के अंदर की थी चोट क्र01 की प्रकृति जानने के लिये उसने दंत चिकित्सक की राय के लिये लिखा था शेष चोटें साधारण प्रकृति की थी। उसकी चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी07 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र02 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आहत को आई चोटें मुंह के बल गिरने से आना संभव है।

12. डॉ0यशवंत सिंह आ0ससा04 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 17/09/15 को जिला चिकित्सालय भिण्ड में थाना गोहद के आरक्षक भोलापरस्ते द्वारा लाये जाने पर आहत देवदत्त शर्मा के दांत का परीक्षण किया था परीक्षण के दौरान उसने पाया था कि आहत के उपरी जबड़े के सामने के दो दांत हिल रहे थे तथा उन्हें छुने पर दर्द था उसके मतानुसार उक्त चोट सख्त एवं बौथरी वस्तु से आई थी जो उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व 48 घंटे के अंदर की थी चोट की प्रकृति जानने के लिये उसने ए-क्सरे की सलाह दी थी। उसकी रिपोर्ट प्र0पी05 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 18/09/15 को आहत का ए-क्सरे परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने दांत टूटना एवं विसंधान नहीं पाया था। उक्त चोट सामान्य प्रकृति की थी उसकी रिपोर्ट प्र0पी06 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आहत को आई चोट गिरने से आना संभव है।

13. फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01 ने भी अपने कथन में झगड़े के दौरान उसके मुंह एवं दांत में चोट आना बताया है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रार्थित प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन उसके शरीर पर चोटें होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है। उक्त बिन्दु पर फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01 के कथन का समर्थन साक्षी राजू आ0सा02, जितेन्द्र आ0सा03, द्वारा भी किया गया है। प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी फरियादी देवदत्त शर्मा के मुंह एवं दांत में चोटें होने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01 के कथन की पुष्टि प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी हो रही है। उक्त बिन्दु पर फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01 के कथन का समर्थन डॉ0 आलोक शर्मा आ0सा05 एवं डॉ0यशवंत सिंह आ0सा04 द्वारा भी किया गया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन फरियादी देवदत्त शर्मा के शरीर पर चोटें होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है। डॉ0यशवंत सिंह आ0सा04 एवं डॉ0आलोक शर्मा आ0सा05 चिकित्सकीय विशेषज्ञ होकर स्वतंत्र साक्षी हैं। उक्त साक्षीगण की फरियादी से कोई हितबद्धता होना एवं आरोपी से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं होता है। उक्त साक्षीगण का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी देवदत्त शर्मा के शरीर पर चोटें होने के बिन्दु पर अखण्डनीय भी रहा है एवं अखण्डनीय रहे कथन के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि अखण्डनीय रहे कथन की सीमा तक उभयपक्षों के मध्य कोई विरोध नहीं है। फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी देवदत्त शर्मा के शरीर पर उपहतियों थी जिनकी प्रकृति साधारण थी।



## विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3,4 एवं 6

14. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

15. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी दशरथ सिंह को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 4-5 माह पहले दिन के 9-10 बजे की है। दशरथ उसकी दुकान पर मोबाईल में उधार बैलेंस कराने आया था उसने उधार बैलेंस डालने से मना कर दिया था तो वह उसे मों बहन की गालियाँ देने लगा था। आरोपी के साथ दो लोग ओर थे जिन्हें वह नहीं पहचानता है। दशरथ उसकी मारपीट करने लगा था दशरथ हाथ में लोहे का कड़ा पहने था उसने मुंह में कड़े से मुक्का मारा था जिससे उसका दांत टूट गया था उसका दांत अभी भी हिलता है। आरोपी ने दुकान के अंदर तोडफोड की थी आरोपीगण दुकान के अंदर घुस आये थे और वहीं पर उसकी मारपीट की थी एक ग्राहक की टी. बी बनने आई थी वह फूट गई थी तथा चोटें मोटे सामान का नुकसान हुआ था टी.बी. में लगभग चार हजार रुपये का नुकसान हुआ था। टी.बी. का कांच फूट गया था आरोपी ने लात-घूसों से उसकी मारपीट की थी। उसे बचाने राजू शर्मा एवं देवेन्द्र शर्मा आ गये थे उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी जो प्र0पी01 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्र0पी02 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं नुकसानी पंचनामा प्र0पी03 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र02 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि घटना का समय सुबह 11:00 बजे था उसकी मारपीट सबसे पहले दशरथ ने की थी। दशरथ ने उसे 25-50 चाटे मारे थे उसके शरीर में कुल 10-12 चोटें आई थी झगड़े के समय उसके भाई राजू एवं जितेन्द्र बाजार में थे उसने उन्हें फोन करके बुलाया था उसने अपने भाईयों को झगड़े के बाद फोन करके बुलाया था।

16. साक्षी राजू शर्मा आ0सा02 ने अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपी दशरथ को नहीं जानता है। घटना दिनांक कोउसे खबर मिली थी कि दुकान पर झगड़ा हो गया है तो वह दुकान पर पहुंचा था उसने देखा था कि दुकान का सारा सामन बिखरा पड़ा था तथा उसके भाई देवदत्तकी हालत खराब थी उसके दांत बगैरा हिल रहे थे उसके साथ उसके ताउ का लडका जितेन्द्र भी था फिर वह देवदत्त को थाने लेकर गये थे। उसके सामने मारपीट नहीं हुई थी लेकिन देवदत्त की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी मारपीट हुई थी उसके दांतों से खून निकल रहा था देवदत्त की मारपीट किसने की थी उसे जानकारी नहीं है नुकसानी पंचनामा प्र0पी03 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी देवेन्द्र शर्मा आ0सा06, ने भी अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपी दशरथ उर्फ पटेल गुर्जर को नहीं जानता है घटना वाले दिन वह देवदत्त की दुकान से प्रेस खरीदने गया था तो उसने देखा था कि देवदत्त की दुकान का सामान टूटा फूटा पड़ा था एवं देवदत्त के शरीर पर थोड़ी बहुत चोटें थी। देवदत्त ने उससे कहा था कि दशरथ ने उसकी मारपीट की है एवं सामान तोड़ा है। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उन्होंने मारपीट होते हुये देखी थी एवं इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी पटेल उर्फ दशरथ ने उनके सामने देवदत्त की मारपीट की थी।

17. साक्षी जितेन्द्र शर्मा आ0सा03 ने अपने कथन में यह बताया है कि दिनांक

15/09/15 को दिन के लगभग एक डेढ़ बजे वह घर पर था उसके भाई देवदत्त ने फोन पर बताया था कि दुकान पर लड़ाई हो गई है पटेल ने दुकान में टी.बी. बगैरा तोड़ दिया था एवं देवदत्त के मुंहमें घूसा मारा था फिर वह दुकान पर आया था और देवदत्त को लेकर थाने गया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्र02 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया हैकि घटना उसके सामने नहीं हुई थी आरोपी ने उसके सामने उसके भाई की मारपीट नहीं की थी।

18. उपनिरीक्षक एन0एल0शाक्य आ0सा07 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

19. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया हैकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथनपरस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

20. प्रस्तुत प्रकरण में बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि साक्षी राजू शर्मा आ0सा02, जितेन्द्र शर्मा आ0सा03 एवं देवेन्द्र शर्मा आ0सा06 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। यह पि यहां यह उल्लेखनीय हैकि साक्षी राजू शर्मा आ0सा02, जितेन्द्र शर्मा आ0सा03 एवं देवेन्द्र शर्मा आ0सा06 ने अपने कथन में यह बताया है कि उन्होंने मारपीट होते हुये नहीं देखी थी उनके सामने आरोपी ने देवदत्त शर्मा की मारपीट नहीं की थी परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि फरियादी के कथनों की अन्य साक्षियों से सम्पुष्टि का जो नियम है वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है यदि फरियादी के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभाषों से परे रहे हों तो मात्र इस आधार पर फरियादी के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि उसके कथनों की पुष्टि किसी अन्य साक्षी द्वारा नहीं की गई है। अब देखना यह हैकि क्या प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01 के कथन इतने विश्वसनीय है कि जिसके आधार पर आरोपी को दोषारोपित किया जा सकता है।

21. फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन दशरथ उसकी दुकान पर मोबाईल मे उधार बैलेंस डलवाने के लिये आया था उसने उधार बैलेंस डालने से मना कर दिया था तो आरोपी दशरथ ने उसकी मारपीट की थी उसके मुंह में मुक्का मारा था एवं उसकी दुकान के अंदर तोड़फोड़ की थी। आरोपी ने दुकान के अंदर घुसकर उसकी मारपीट की थी एक ग्राहक की टी.बी बनने आई थी उसका कांच तोड़ दिया था उक्त टी.बी.टूटने से लगभग चार हजार रुपये का नुकसान हुआ था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया हैकि दशरथ केसाथ दो अन्य लोग भी थे जिनका नाम वह नहीं जानता हैं। इस प्रकार फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया हैकि आरोपी के साथ दो व्यक्ति ओर भी थे जबकि प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी के साथ एक अन्य अज्ञात लडके के आने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथनों को अत्यन्त बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है परन्तु यह मानवीय स्वभाव है कि वह इस कारण कि उसके कथनों पर अधिक विश्वास किया जाये कथनों को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है परन्तु मात्र इस आधार पर उसके संपूर्ण कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता हैं।

22. फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि आरोपी दशरथ ने उसके 25-50 चाटें मारे थे तथा उसके शरीर में कुल 10-12 चोटें थी जबकि चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी07 में आरोपी के केवल चार चोटें होने का उल्लेख है इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी फरियादी द्वारा अपने कथनों को किंचित बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है परन्तु मात्र इस आधार पर फरियादी के संपूर्ण कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि घटना सुबह 11:00 बजे की थी एवं वह 11:00 बजे थाने पहुंच गया था जबकि प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना का समय दिन के डेढ़ बजे एवं थाने पर सूचना प्राप्त होने का समय 14:15 बजे अंकित है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01 के कथन प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से किंचित विरोधाभासी रहे हैं परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 16/09/15 की है एवं फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01 के कथन न्यायालय में दिनांक 29/3/16 को अंकित किये गये हैं। अतः समय का लम्बा अन्तराल होने के कारण फरियादी के कथनों में उक्त विसंगति होना स्वाभाविक है एवं उक्त विसंगति इतनी तात्त्विक भी नहीं है जिससे अभियोजन घटना पर विपरीत प्रभाव पड़ सके।

23. फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01 ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी ने उससे मोबाईल में उधार बैलेंस डालने के लिये कहा था एवं उसने आरोपी को उधार देने से मना कर दिया था। इस कारण आरोपी ने दुकान में घुसकर उसकी मारपीट की थी तथा उसकी दुकान का सामान टी.बी. आदि तोड़कर उसे चार हजार रुपये का नुकसान कारित किया था उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्त्विक विरोधाभासों से परे रहा है। जहां तक साक्षी राजू शर्मा आ0सा02, जितेन्द्र आ0सा03, एवं देवेन्द्र आ0सा06 के कथन का प्रश्न है तो यद्यपि उक्त साक्षीगण ने उनके सामने मारपीट न होना बताया है उक्त साक्षीगण घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं परन्तु उक्त सभी साक्षीगण द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह घटना के तत्काल बाद मौके पर पहुंचे थे एवं उन्होंने फरियादी देवदत्त शर्मा के शरीर पर चोटें देखी थी। इस प्रकार साक्षी राजू शर्मा आ0सा02, जितेन्द्र आ0सा03, एवं देवेन्द्र आ0सा06 के कथनों से यह तो दर्शित है कि उक्त साक्षीगण ने घटना के तत्काल बाद फरियादी देवदत्त शर्मा को घायल अवस्था में देखा था।

24. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी ने फरियादी के यहां रेत की ट्रॉली डाली थी एवं आरोपी को पैसे न देने पड़े इस कारण फरियादी द्वारा आरोपी के विरुद्ध मिथ्या अपराध पंजीबद्ध कराया गया है परन्तु आरोपी द्वारा लिये गये बचाव के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त संबंध में बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01 को सुझाव दिया गया है जिसे फरियादी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। आरोपी द्वारा उक्त लिये गये बचाव के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में आरोपी का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

25. फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01 ने यह बताया है कि आरोपी ने उसकी दुकान में तोड़फोड़ की थी तथा एक टी.बी. तोड़ दी थी जिससे उसे चार हजार रुपये का नुकसान कारित हुआ था नुकसानी पंचनामा प्र0पी03 के एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी का यह कथन अपने

प्रतिपरीक्षण के दौरान अखण्डनीय रहा है आरोपी की ओर से उक्त बिन्दु पर कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। विवेचक एन0एल0शाक्य आ0सा07 ने भी विवेचना के दौरान प्र0पी03 का नुकसानी पंचनामा बनाना एवं उस पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों का कोई खण्डन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपी ने फरियादी देवदत्त शर्मा की दुकान में टी.बी. तोड़कर उसे चार हजार रुपये का नुकसान कारित किया था। फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01 द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी ने उसकी दुकान के अंदर घुसकर उसकी मारपीट की थी प्र0पी02 के नक्शे मौके में भी घटना-स्थल फरियादी की दुकान के अंदर होना दर्शित है। आरोपी द्वारा उक्त तथ्य के खण्डन में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि आरोपी ने फरियादी की दुकान में जो कि सम्पत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता था में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया था।

26. फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01 ने यह व्यक्त किया है कि आरोपी ने उसे मोबाईल में उधार बैलेंस डालने को कहा था एवं उसने आरोपी को उधार देने से मना कर दिया था इस कारण आरोपी ने दुकान के अंदर घुसकर उसकी मारपीट की थी एवं दुकान में तोड़फोड़ कर उसे नुकसान कारित किया था। उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है। साक्षी राजू शर्मा आ0सा02, जितेन्द्र शर्मा आ0सा03 एवं देवेन्द्र शर्मा आ0सा06 ने भी घटना के तुरन्त बाद आरोपी को घायल अवस्था में देखना बताया है। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट यथाशीघ्र थाने पर की गई है। फरियादी देवदत्त शर्मा आ0सा01 के कथन तात्विक बिन्दुओं पर प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहे हैं। फरियादी के कथनों की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी हो रही है। डॉ0आलोक शर्मा आ0सा05 एवं डॉ0यशवंत सिंह आ0सा04 ने भी फरियादी के शरीर के उन्हीं भागों पर चोट होना बताया है जिन भागों पर फरियादी ने आरोपी द्वारा मारपीट करना बताया है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। फरियादी के कथन चिकित्सकीय साक्ष्य से भी पुष्ट रहे हैं एवं जहां फरियादी के कथनों की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी हो रही है वहां फरियादी के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

27. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को आरोपी ने फरियादी देवदत्त शर्मा की दुकान में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया था एवं आरोपी ने सम्पत्ति उददापित करने के प्रयोजन से उसकी मारपीट कर उसे उपहति कारित की थी तथा फरियादी की दुकान में रखा टी.बी. तोड़कर उसे चार हजार रुपये का नुकसान कारित कर रिष्टी कारित की थी।

28. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी ने फरियादी देवदत्त शर्मा को स्वेच्छया उपहति कारित की थी? प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित है कि आरोपी ने फरियादी से मोबाईल में उधार बैलेंस डालने के लिये कहा था एवं फरियादी ने आरोपी को उधार बैलेंस डालने से मना कर दिया था जिस कारण आरोपी दशरथ ने फरियादी देवदत्त शर्मा की मारपीट की थी। आरोपी ने देवदत्त शर्मा के मुंह में मुक्का मारा था आरोपी वयस्क व्यक्ति है तथा अपने कृत्य के परिणामों को समझने



में समक्ष है आरोपी मारपीट करते समय यह समझने में सक्षम था कि उसके द्वारा जिस तरह से फरियादी देवदत्त शर्मा की मारपीट की जा रही है उससे देवदत्त शर्मा को उपहति कारित होना संभावित है। आरोपी का ऐसा कहना भी नहीं है कि उसने प्रायवेत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुये फरियादी देवदत्त शर्मा को उपहति कारित की थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों से यहीं दर्शित होता है कि आरोपी द्वारा सम्पत्ति उददापित करने के प्रयोजन से फरियादी को स्वेच्छया उपहति कारित की गई थी।

29. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 16/09/15 को दिन के लगभग डेढ़ बजे गोलम्बर तिराहा के पास गोहद में फरियादी देवदत्त शर्मा की दुकान में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया तथा फरियादी देवदत्त शर्मा से सम्पत्ति उददापित करने के प्रयोजन से उसकी मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी देवदत्त शर्मा को सदोष हानि कारित करने के आशय से उसकी टी.बी. तोड़कर उसे चार हजार रुपये का नुकसान कारित कर रिष्टी कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी दशरथ उर्फ पटेल गुर्जर को भादस की धारा 451,327 एवं 427 के आरोप में दोषी पाती है।

30. समग्र अवलोकन से यह न्यायालय आरोपी दशरथ उर्फ पटेल गुर्जर को भादस की धारा 294 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त करते हुये आरोपी को भादस की धारा 451,327 एवं 427 में सिद्धदोष पाते हुये दोषसिद्ध करती है।

31. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया जाता है।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद  
जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च—

32. आरोपी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपी को कम से कम दण्ड से दंडित किया जावे।

33. आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्ध अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है एवं आरोपी द्वारा नियमित रूपसे विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपी वयस्क व्यक्ति है तथा सुसंगत समय पर अपने कृत्य के परिणामों को समझने में पूर्णतः सक्षम था आरोपी द्वारा जिस तरह से सम्पत्ति उददापित करने के प्रयोजन से फरियादी की दुकान में घुसकर उसकी मारपीट की गई हैं उन परिस्थितियों में आरोपी को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना आवश्यक है। फलतः यह न्यायालय आरोपी दशरथ को भादस की धारा 451 के अंतर्गत 6 माह के सश्रम

कारावास एवं 500/-रुपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर 15 दिवस के अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा भादस की धारा 327 के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/-रुपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर 15 दिवस के अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं भादस की धारा 427 के अंतर्गत 6 माह के सश्रम कारावास तथा चार हजार रुपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित करती है।

34. कारावास की सभी सजाये एक साथ चलेगी।

35. आरोपी द्वारा अर्थदंड की राशि अदा किये जाने पर द0प्र0स0 की धारा 357 (3) के अंतर्गत फरियादी देवदत्त शर्मा को 4000/-रुपये प्रतिकर के रूप में अपील अवधि पश्चात दिये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

36. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

37. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।

38. आरोपी जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहा है उसके संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपी द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उसकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपी इस प्रकरण में दिनांक 24/11/15 से दिनांक 04/12/15 तक न्यायिक निरोध में रहा है।

39. तदनुसार सजा वारंट तैयार किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक –17 -1-2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित  
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)